भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4209

सोमवार, 27 मार्च, 2023/06 चैत्र, 1945 (शक)

तकनीकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी

4209. श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री रमापति राम त्रिपाठी:
श्री पी.पी.चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत सहित पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर तकनीकी क्षेत्रों में की जा रही छंटनी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों की तुलना में इस छंटनी से कितने भारतीय नागरिक प्रभावित हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार की श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई उपाय शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बर्खास्तगियों सहित नियोजन और छंटनी एक नियमित घटना है। देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बर्खास्तगियों से संबंधित मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (आईडी अधिनियम) के उपबंधों द्वारा शासित किए जाते हैं जिसमें कामगार की बर्खास्तगी के विभिन्न पहलुओं और छंटनी से पूर्व की दशाओं को भी विनियमित किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों से अपेक्षित है कि वे बंदी, छंटनी या बर्खास्तगी करने से पहले समुचित सरकार की पूर्व अनुमति लें। इसके अलावा, किसी भी ऐसी छंटनी और बर्खास्तगी को अवैध माना जाता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबंधों के अनुसार न की गई हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम में बर्खास्त और छंटनी किए गए कामगार के लिए प्रतिपूर्ति के अधिकार का भी उपबंध है तथा इसमें छंटनी किए गए कामगारों के पुन:नियोजन का उपबंध भी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में यथानिर्धारित उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों के आधार पर, केन्द्रीय और राज्य सरकारें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कामगारों की समस्याओं का निवारण करने हेतु कार्रवाईयां करती हैं और उनके हितों की रक्षा करती हैं। केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रतिष्ठानों में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को. बर्खास्तगी और इसके निवारण से संबंधित मामलों सहित अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कामगारों के हितों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त है। इन क्षेत्रों के संबंध में कामगारों की बर्खास्तगी से संबंधित डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****